


अतः पूर्व आदेशानुसार पञ्जावली
दिनांक 22/12/25 को पेश हो।

22/12/25

~~पञ्जावली पेश हुई। उभय पक्ष उपे०।
उभय पक्ष की सहमति से गौरी पञ्जावली
का अद्योक्त मन्त पश्चात्,
पञ्जावली में उपलब्ध साक्ष्य
तहसीलदार प्रो. के. सी. रिपॉर्ट
के आधार पर पानी का
प्राप्ति पत्र स्वीकार
किया जायेगी। विनियम 17
से 2 की तरफ किया जाता है। पञ्जावली
के सल सुमाट होकर हर्ष जेठ
का होकर दाखिल करके
दफ्तर हो।~~


उपखण्ड अधिकारी
उभयपक्ष